-19

प्रार्थी के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रथम दृष्टया प्रकरण मे सुविधा का सन्तुलन प्रार्थी के पक्ष मे है, यदि अपीलाधीन आदेश की पालना नही रोकी गई तो अपीलाधीन आदेश की आड मे 1/2 हिस्से की जगह अप्रार्थीगण सम्पूर्ण भूमि की खातेदारी अपने नाम दर्ज करवा देगें। जिससे अपीलान्ट को अपूर्णनीय हानि होगी तथा पक्षकारों मे विविाद बढेगा। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.12.2018 की पालना व प्रभाव को स्थगित रख जाने व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का निवेदन किया है। प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा अपने समर्थन मे आर.आर.डी. 2004 पेज 727, आर.आर.डी. 1998 पेज 553 पेश की ।

हमने प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया तथा स्थगन प्रार्थना पत्र एवं अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय दिनांक 26.2. 2018 का अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों के आधार पर तहसीलदार, शिव को निर्देशित किया जाता है कि वे विवादित भूमि खेत खसरा संख्या 226,774/213 व 781/216 मौजा शिव के राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखेगें। स्थगन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर निर्णित होकर मूल पत्रावली के संलग्न हो।